# （⿴囗⿱一𧰨丶 LIC <br> भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA <br> भारतीय जीवन बीमा निगम <br> （जीवन बीमा निगम अधिनियम， 1956 के तहत गठित） <br> आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512 <br> केंद्रीय कार्यालय：＇योगक्षेम’，जीवन बीमा मार्ग，मुंबई，महाराष्ट्र－ 400021 <br> दूरभाष．नंबर：022－2202 2079 <br> ईमेल：investors＠licindia．com；वेबसाइट：www．licindia．in <br> पहली वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना 

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की पहली वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार， 27 सितंबर， 2022 को 14：30 बजे （आईएसटी），वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग（＇‘वीसी＇）／अन्य ऑडियो－विजुअल मीन्स （＂ओएवीएम＇＇）के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी：

## साधारण व्यवसाय：

1． 31 मार्च， 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों（समेकित वित्तीय विवरणों सहित）पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 24 बी， 24 सी और 25 बी के तहत अपनाना।
2．एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 24 सी और 27 के अनुसार 31 मार्च， 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
3．एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 28बी（1）के संदर्भ में बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च， 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्रिटी शेयर 1.50 रुपये के अंतिम लाभांश पर विचार करना और घोषित करना।

4．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ．रंजन शर्मा（डीआईएन：09573799） की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना：
＂＇संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，डॉ．रंजन शर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 अक्टूबर， 2021 से 28 अप्रैल， 2022 तक 6 （छह）महीने की पहली अवधि और 29 अप्रैल， 2022 से 28 अप्रैल， 2026 तक 4（चार）साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है， जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।＇
5．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा（डीआईएन： 09309031）की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना： ＂＇संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，श्री विनोद कुमार वर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 अक्टूबर， 2021 से 28 अप्रैल， 2022 तक 6 （छह）महीने की पहली अवधि और 29 अप्रैल， 2022 से 28 अप्रैल， 2026 तक 4（चार）साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है， जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।＇
6．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो．अनिल कुमार（डीआईएन：09477565） की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना：
＂संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，प्रो．अनिल कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण

में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 20 जनवरी， 2022 से 19 जुलाई， 2022 तक 6 （छह）महीने की पहली अवधि और 20 जुलाई， 2022 से 19 जुलाई， 2026 तक 4（चार）साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है， जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है। ${ }^{\prime \prime}$

7．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल（डीआईएन： 05264033）की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना： ＂＇संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，श्रीमति अंजुली चिब दुगल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 जनवरी， 2022 से 28 जनवरी， 2026 तक 4（चार）साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है， जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है। ${ }^{\prime \prime}$
8．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम（डीआईएन： 09660723）की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना： ＂＇संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 जनवरी， 2022 से 28 जनवरी， 2026 तक 4（चार）साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है，जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।＇
9．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल（डीआईएन：07653591） की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना：
＂＇संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，श्री राज कमल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 जनवरी， 2022 से 28 जनवरी， 2026 तक 4（चार）साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है，जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।＇
10．एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी．एस．पार्थसारथी（डीआईएन： 00125299）की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और，यदि उचित समझा जाए，तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना： ＇＂संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम， 1956 की धारा 4（2） （जी）के साथ पठित धारा 4（4）के अनुसार，श्री वी．एस．पार्थसारथी को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है，जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है， 29 जनवरी， 2022 से 28 जनवरी， 2026 तक 4 （चार）साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है， जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।＇
11. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एम.पी. विजय कुमार (डीआईएन: 05170323) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
"'संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री एम.पी. विजय कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4 (चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
12. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन: 08075972) नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
"'संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री संजीव नौटियाल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
13. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना और इस संबंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
"संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम निम्नलिखित सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करता है:'

| क्रमांक | लेखा परीक्षक का नाम | सीएजी पैनल संख्या | प्रधान कार्यालय | फर्म पंजीकरण संख्या <br> (एफआरएन) | *शेष कार्यकाल के लिए <br> पुनर्नियुक्ति (1 अप्रैल, <br> 2022 से प्रभावी) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी | BO1440 | मुंबई | $105016 \mathrm{~W} /$ <br> $\mathrm{W}-100015$ | 01 वर्ष |

*नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि उस वर्ष के लिए एजीएम के समापन की तारीख तक होगी, जिसमें कार्यकल समाप्त हो रहा है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक के लिए निगम के सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाता है।
आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सहित) को समय-समय पर उन सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में या प्रासंगिक होने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

## विशेष व्यवसाय:

14. श्री एम.आर. कुमार (डीआईएन: 03628755) की निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि

गई कि श्री एम.आर. कुमार, निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल 13 मार्च, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है। ${ }^{\prime \prime}$
15. श्री सुचीन्द्र मिश्र (डीआईएन: 01873568), सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
"संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2022 के तहत, श्री सुचीन्द्र मिश्र को निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव के साथ और आगे के आदेश तक नियुक्ति की जाती है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"
16. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311) की नियुक्ति के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री राज कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की

अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि गई कि निगम के प्रबंध निदेशक श्री राज कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।'
17. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
"'संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति भारत सरकार की 20 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के तहत, श्री सिद्धार्थ मोहंती को 02 फरवरी, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी, 30.06.2023) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।'
18. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती मिनी आईप (डीआईएन: 07791184) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्रीमती मिनी आईप की नियुक्ति भारत सरकार की दिनांक 05 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के तहत श्रीमती मिनी आईप को 02 अगस्त, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.08.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।'
19. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री विष्णु चरण पटनायक (डीआईएन: 08384583) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
'संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री बिष्णु चरण पटनायक की नियुक्ति,भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के तहत, श्री बिष्णु चरण पटनायक को 01 अक्टूबर, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.03.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"
20. निगम के संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना
"'संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 23(4) के तहत, कानून के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और किसी भी संशोधन, संशोधन या पुनर्मूल्यांकन के प्रावधानों के अनुसार हल किया गया (लागू कानून) और भारतीय जीवन बीमा निगम की 'संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति', जैसा कि समय-समय पर लागू हो, सदस्यों की सहमति, निदेशक मंडल को दी जाती है। (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत अधिकृत समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा), में प्रवेश करने और/या अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों को करना और/या जारी रखना (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या लेनदेन एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा), इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं हैं। ऐसे सभी लेनदेन निगम के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 1,000 करोड़ या वार्षिक समेकित कारोबार का $10 \%$ से ज्यादा, जो भी कम हो, या समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू होने वाली कोई अन्य भौतिकता सीमा, बशर्ते

कि अनुबंध/व्यवस्था/ लेन-देन एक हाथ की दूरी के आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा:

| क्र.स. | संबंधित पार्टी <br> का नाम | संबंध की <br> प्रकृति | लेन-देन का <br> प्रकार | लेन-देन का <br> मुल्य (₹ करोड़ <br> में) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | एलआईसी <br> म्यचुअल फंड <br> लिमिटेड | एसोसिएट | क्रय | 20,000 |
| 2 | एलआईसी <br> म्यचुअल फंड <br> लिमिटेड | एसोसिएट | प्रतिदान | 20,000 |

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गई अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करना जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।
(पवन अग्रवाल) कंपनी सचिव सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744

दिनांक: जुलाई 04, 2022

## केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम
'योगक्षेम',
जीवन बीमा मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
दूराष. नंबर: 022-2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com
वेबसाइट: www.licindia.in

नोट:

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र ('"एमसीए सर्कुलर'") संख्या14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 03/2022 दिनांकित क्रमश: 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 जारी किए गए परिपत्र (सेबी सर्कुलर) एवं इसके साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमनों, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियमनों) के अनुसरण में निगम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) (इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप संदर्भित) के माध्यम से अपनी पहली एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है, अर्थात सदस्यो की शारीरक उपस्थिति के बिना।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के साथ पठित धारा 23ए के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण जो इस नोटिस के मद संख्या 3 से 19 के तहत निर्दिष्ट सामान्य और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्र है।
3. भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पढ़े गए एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक सदस्य को शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम स्थल, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।
4. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत विवरण और निदेशकों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार पहली वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग को इस नोटिस के अनुलग्रक-ए के रूप में संलग्र किया गया है जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त हुई है
5. सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम मोड में बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लाइव कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस नोटिस की टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के तहत नियमों और विनियमों के साथ पठित और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1,000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश के कारण बड़े सदस्यों ( $2 \%$ या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि।
7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम

के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सची प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से snaco@snaco.net के साथ evoting@nsdl.co.in पर चिह्हित एक प्रति ईमेल द्वारा भेजा जाए।
8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
9. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। पहली एजीएम आयोजित करने की सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर अपलोड कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग से भी देखा जा सकता है। bseindia.com और www.nseindia.com । नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

ए) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 30 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में ₹ 10 के अंकित मूल्य के प्रति इक्रिटी शेयर पर ₹ 1.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 होगी।

बी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश, एक बार पहली एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, सदस्यों को 26 अक्टूबर, 2022 तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभार्थियों को, जिनके सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में नाम शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कारोबार के घंटों की समाप्ति पर दिखाई देते हैं।
सी) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर निगम कार्रवाई नहीं कर सकता है। अत: डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें और शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति के बाद नहीं।

डी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जमा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) जनादेश को पंजीकृत करें जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात बैंक खाता संख्या) होगा। बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्वसत्यापित प्रति और (iii) निगम के आरटीए को रद्द किया गया चेक पत्ता, einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा।

ई) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए निगम के रिकॉर्ड में दर्ज पते पर निगम किसी अन्य अनुमेय तरीके से (ऐसे सदस्यों को) लाभांश का भुगतान करेगा।

च)
वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें।

एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे पैन के साथ फॉर्म संख्या 15 जी/15एच में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके कर निवास वाले देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं अर्थात कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है की घोषणा लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म $10 F$, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है

इसके लिए 15 जुलाई, 2022 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को या उससे पहले अपेक्षित जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।
11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकित या संयुक्त धारकों में किसी भी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करें, जैसा भी मामला हो। शायद।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन विवरण रजिस्ट्रार (आरटीए) को प्रस्तुत करे
12. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन के मामलों को छोड़कर ; एक सूचीबद्ध इकाई के शेयरों को केवल डीमैट रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, शेयरधारकों को अपने हित में शेयरों के हस्तांतरण में परेशानी से बचने और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिमों को खत्म करने के लिए अपनी शेयरधारिता को डीमैटरियलाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्य इस संबंध में रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं।
13. एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5 ई के साथ पठित जीवन बीमा निगम के सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 9 के प्रावधानो, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

नोटिस जारी होने की तिथि तक, निगम ने भौतिक रूप में कोई शेयर जारी नहीं किया है।
14. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी के तहत, अस्वामिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष ('आईईपीएफ') को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा न किए गए/अस्वामिक रहते हैं, उन्हें भी

आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2022 तक आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए निगम के पास अस्वामिक या दावा न किए गए लाभांश की कोई राशि नहीं है।
15. उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए में पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों की ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया:
(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्र कर आरटीए को लिखकर अपने ईमेल पते को einward.ris@ kfintech.com पर पंजीकृत/अपडेट करें।
(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी) einward. ris@kfintech.com पर प्रदान करें। यदि आप एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि नीचे बिंदु संख्या 19 चरण 1(ए) में बताई गई लॉगिन विधि देखें। यानी, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि हैं।
(iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।
16. एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग:
(i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा निगम मतदान की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग'(एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग)। इस उद्देश्य के लिए निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
(ii) मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले निगम के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकरी के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह व्यक्ति एजीएम से पहले और दौरान रिमोट ई-वोटिंग की

सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या शेयरधारक जो भौतिक रूप में निगम की प्रतिभूतियों को धारण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
(iii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं तथा कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करते हैं, वे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो नीचे बिंदु 19 में हैं।
(iv) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे (आईएसटी) पर शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2022 को निगम की चुकता इक्रिटी शेयर पूंजी के हिस्से के अनुपात में होंगे।
(v) सदस्यों को एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान का अधिकार होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, संकल्प बैठक की तिथि अर्थात 27 सितंबर, 2022 को पारित माना जाएगा।
(vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
17. सुश्री अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एन.एस. (सदस्यता संख्या एसीएस 61955) मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निगम के सदस्यों की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच के पूरा होने के बाद, निर्धारित समय के भीतर अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
18. सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:
(i) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए बिंदु 19 के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम का लिंक

देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए '‘वीसी/ओएवीएम लिंक"' पर क्लिक करें। वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का EVEN (121401) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उक्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
(ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईयैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फायरफॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
(iii) सदस्यों को उनके नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अपने पंजीकृत ई-मेल पते से, पहली एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से licagm_2022@licindia.com पर दिनांक गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (1700 बजे) तक भेज सकते है। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा
(iv) सदस्य जो बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए licagm_2022@licindia.com पर गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रविवार, 25 सितंबर, 2022 ( 1700 बजे) के बीच एक अनुरोध भेजकर अपना पूर्वपंजीकरण कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार संरक्षित रखता है।
(v) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से sanjeevy@nsdl.co.in/ 18001020990 या 1800224430 पर संपर्क कर सकते हैं।
19. सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 सितंबर, 2022 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार निगम की चुकता इक्रिटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में कट-ऑफ तिथि, 20 सितंबर, 2022 को होगा।
मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?
एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मत देने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:
चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच
ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि
सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

| शेयरधारक का प्रकार | लॉगिन विधि |
| :---: | :---: |
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सर्विसेज होम पेज पर '"लॉगिन"' के तहत 'बेनिफिशियल ओनर' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। <br> 2. यदि आप आईडीई ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई-मेल सेवा पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुनें या https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। <br> 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। <br> 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप '"एनएसडीएल स्पीड' सूविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। <br> NSDL Mobile App is available on <br> Google Play |
| सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं । ई-वोटिंग पेज तक बिना किसी और प्रमाणीकरण के पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ता Easi/Easiest पर लॉग-इन करने के लिए https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com यूआरएल का उपयोग करें तथा नई प्रणाली Myeasi पर क्लिक करें । <br> 2. Easi/Easiest पर सफल लॉग-इन करने के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेन्यू का अवलोकन भी कर सकता है। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल की लिंक्स होंगी । अपना वोट देने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें । <br> 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण के लिए विकल्प https://web. cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है । <br> 4. विकल्पत:, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में उपलब्ध लिंक से डीमॅट एकाउंट क्रमांक तथा पैन क्रमांक प्रदान कर ई-वोटिंग पेज को सीधे एक्सेस कर सकता है । सिस्टम द्वारा पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी भेजकर तथा डीमॅट एकाउंट में दर्ज किए गए अनुसार ई-मेल भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित किया जाएगा । सफल प्रमाणन के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, अर्थात् एनएसडीएल के लिए लिंक्स प्रदान की जाएंगी, जहां ई-वोटिंग चल रहा है । |

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमॅट रूप में प्रतिभूतियां रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं

ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ अपने पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमॅट एकाउंट के लॉग-इन प्रत्यय प्रलेखों का उपयोग करते हुए भी लॉग-इन कर सकते हैं । लॉग-इन करने पर आप ईवोटिंग विकल्प देख सकते हैं । ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग चिह्न देख सकेंगे । कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए अथवा आभासी बैठक जॉइन करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: यूजर आईडी/पासवर्ड रिट्राइव्ह करने में असमर्थ रहे सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त उल्लिखित वेबसाईट पर उपलब्ध फरगेट यूजर आईडी तथा फरगेट पासवर्ड विकल्प का प्रयोग करें ।
डीमॅट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉग-इन संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता डेस्क

| लॉन-इन प्रकार | सहायता डेस्क विवरण |
| :--- | :--- |
| एनएसडीएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां <br> रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉग-इन में किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध <br> भेजकर एनएसडीएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 18001020990 तथा <br> 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं । |
| सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां <br> रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉग-इन में किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर <br> अनुरोध भेजकर सीडीएसएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 022-23058738 <br> अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं । |

बी) डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों तथा फिजिकल मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा आभासी बैठक में सहभाग लेने हेतु लॉग-इन पद्धति
एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाईट को कैसे लॉग-इन करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट पर जाएं । पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाईल पर निम्न यूआरएल को टाईप करते हुए वेब ब्राउज़र ओपन करें: https://www.evoting.nsdl.com/
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, 'शेयरहोल्डर/मेंबर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आयकॉन पर क्लिक करें ।
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको अपने यूजर आईडी, अपने पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित अनुसार वेरिफिकेशन कोड को एन्टर करना होगा ।
विकल्पतः यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेस, अर्थात् IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, आप मौजूदा IDEAS लॉग-इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स के प्रयोग पश्चात् आपके द्वारा एनएसडीएल ई-सर्विसेस में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप स्टेप 2 , अर्थात् 'कास्ट योर वोट इलेक्ट्रॉनिकली' की ओर आगे बढ़ सकते हैं ।
4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

| शेयरों को धारण करने का तरीका, अर्थात् डीमॅट (एनएसडीएल <br> अथवा सीडीएसएल) अथवा फिजिकल | आपका यूजर आईडी है: |
| :--- | :--- |
| क) एनएसडीएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले <br> सदस्यों के लिए | 8 कॅरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी <br> उदाहरणार्थ: यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और क्लायन्ट आईडी <br> $12^{* * * * * * ~ ह ै, ~ त ो ~ आ प क ा ~ य ू ज र ~ आ ई ड ी ~ I N 300 * * * 12 * * ~ ह ै ~ । ~}$ |
| ख) सीडीएसएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले <br> सदस्यों के लिए | 16 डिजिट बेनिफिशियरी आईडी <br> उदाहरणार्थ: यदि आपका बेनिफिशियरी आईडी $12^{* * * * * * * * * * * * * * ~ ह ै, ~ त ो ~ आ प क ा ~}$ <br> यूजर आईडी 12************* है । |
| ग) फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए | इवन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर <br> उदाहरणार्थ: यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन नंबर 101456 है, तो यूजर <br> आईडी $101456001^{* * *}$ |

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण निम्न दिया गया है :

क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा पासवर्ड के प्रयोग से लॉग-इन कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं ।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको पूर्व में सूचित 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्राइव करना आवश्यक होगा । आपके द्वारा 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्राइव किए जाने के बाद, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' एन्टर करना आवश्यक होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड को बदलने के लिए बाध्य करेगी ।

ग) आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्राइव करें ?
(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमॅट एकाउंट में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है । एनएसडीएल द्वारा आपको भेजा गया ई-मेल अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें । ई-मेल को खोलें

और $ॅ ट ै च म े ं ट ~ अ र ् थ ा त ्, ~ a . p d f ~ f i l e ~ क ो ~ ख ो ल े ं ~ । ~ प ी ड ी ए फ ~ फ ा ई ल ~ ख ो ल े ं ~ । ~ ए न ए स ड ी ए ल ~ ए क ा उ ं ट ~ क े ~ ल ि ए ~ . प ी ड ी ए फ ~ फ ा ई ल ~ क ो ~ ख ो ल न े ~ क े ~ ल ि ए ~$ पासवर्ड आपका 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी, सीडीएसएल एकाउंट के लिए क्लायन्ट आईडी के अंतिम 8 डिजिट अथवा फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो क्रमांक है । पीडीएफ फाईल में आपका 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' अंतर्विष्ट है ।
(ii) यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए बनाए गए निम्न उल्लिखित चरणों का पालन करें, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं ।
6. यदि आप पासवर्ड को रिट्राइव करने में असमर्थ रहे हैं अथवा आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आप पासवर्ड भूल गए हैं:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड ?' (यदि आपने एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के साथ अपने डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखे हैं) पर क्लिक करें

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन 'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?' (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर्स हैं) पर क्लिक करें

ग) यदि आप उक्त दोनों विकल्पों के द्वारा अभी भी पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने डीमॅट एकाउंट क्रमांक/फोलियो क्रमांक, अपने पैन, अपने नाम तथा आपके पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं ।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट देने के लिए ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं ।
7. पासवर्ड एन्टर करने के बाद, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए 'अग्री टू टर्म्स एण्ड कंडिशन्स' पर टिक करें ।
8. अब, आपको 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करना होगा ।
9. 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा ।

## चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग जॉइन करें ।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग कैसे जॉइन करें ?

1. स्टेप 1 में सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के 'इवन' को देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर्स हैं और जिनकी वोटिंग साइकल और जनरल मीटिंग एक्टिव्ह स्टेटस में है ।
2. उस कंपनी के लिए 'इवन' सिलेक्ट करें, जिसे आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान तथा जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट देना चाहते हैं । आभासी मीटिंग जॉईन करने के लिए, आपको 'जॉईन जनरल मीटिंग' के अंतर्गत दी गई लिंक 'VC/OAVM' पर क्लिक करना होगा ।
3. अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाता है, आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।
4. आप जिसे वोट देने के इच्छुक हैं, उसे यथोचित विकल्पों, अर्थात् अनुमति अथवा असहमति, जॉचना/संशोधित द नंबर ऑफ शेयर्स को सिलेक्ट करते हुए वोट दें और 'सबमिट' पर क्लिक करें और प्रॉप्प्ट किए जाने पर 'कन्फर्म' भी करें ।
5. कन्फर्म करने के उपरांत 'वोट कास्ट सक्सेसफुली' का संदेश प्रदर्शित होगा ।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर उपलब्ध प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने द्वारा दिए गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं ।

## वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के समान है ।
(ii) केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिनके द्वारा रेजोल्युशन्स पर अपने वोट रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं दिए गए हैं, और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के लिए पात्र होंगे ।
(iii) वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिए हैं, एजीएम में उपस्थित रहने के लिए पात्र होंगे । तथापि, वे एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
(iv) ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबधित किसी शिकायत हेतु संपर्क करने-योग्य व्यक्ति का विवरण और रिमोट ई-वोटिंग हेतु उल्लिखित व्यक्ति का विवरण समान होगा ।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश:
(i) अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करने और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की कडी सलाह दी जाती है । सही पासवर्ड को की-इन करने के पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाईट का लॉग-इन डिसेबल हो जाएगा । ऐसी घटना में, आपको पासवर्ड को रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प Forgot User Details/Password? अथवा 'Physical User Reset Password?' पर जाना आवश्यक होगा ।
(ii) कोई भी प्रश्र होने पर, आप www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्केन्टली आस्क्ड क्रेश्चन्स (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक: 18001020990 तथा 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के सहायक प्रबन्धक श्री संजीव यादव को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी: sanjeevy@nsdl.co.in तथा/अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसार व्याख्यातमक विवरण:

## मद क्र. 3

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी के अनुसार, निगम के निदेशक मण्डल ने 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में ₹ $10 /$ - प्रत्येक की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्रिटी शेयर के लिए ₹ 1.50 के अंतिम लाभांश की अनुशंसा वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन की है । यह $15 \%$ के लाभांश भुगतान अनुपात में तब्दील हो जाता है। यह 30 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया था ।
तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस के मद क्र. 3 के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव को अपनाएं ।

## मद क्र. 4

डॉ. रंजन शर्मा को 29 अक्टूबर 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।
जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने डॉ. रंजन शर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा डॉ. रंजन शर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए डॉ. रंजन शर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

डॉ. रंजन शर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में डॉ. रंजन शर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।
डॉ. रंजन शर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 4 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।
अत: सदस्यों से अनुरोध है कि डॉ. रंजन शर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 5

श्री विनोद कुमार वर्मा को 29 अक्टूबर, 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।
जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री विनोद कुमार वर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए श्री विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

श्री विनोद कुमार वर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्दे शों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री विनोद कुमार वर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।

श्री विनोद कुमार वर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।
अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 6

प्रो. अनिल कुमार को 20 जनवरी, 2022 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4 (2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 19 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने प्रो. अनिल कुमार को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो अनिल कुमार द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा प्रो. अनिल कुमार को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 20 जुलाई, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

प्रो. अनिल कुमार एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।
सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में प्रो. अनिल कुमार का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।

प्रो. अनिल कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि प्रो. अनिल कुमार को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 7

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्रीमती अंजुली चिब दुग्ग को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्रीमती अंजुली चिब दुगल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करती हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं।। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों

या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।

श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 7 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 8

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री गुरुमूर्ति महालिंगम की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री गुरुमूर्ति महालिंगम एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।
श्री गुरुमूर्ति महालिंगम और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 8 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 9

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री राज कमल को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री राज कमल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री राज कमल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।
श्री राज कमल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री राज कमल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।

श्री राज कमल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 9 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री राज कमल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 9 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 10

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री वी.एस.पार्थसारथी को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एस.पार्थसारथी द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री वी.एस.पार्थसारथी को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री वी.एस.पार्थसारथी की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।
श्री वी.एस.पार्थसारथी एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिदशों
(लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री वी.एस.पार्थसारथी का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।

श्री वी.एस.पार्थसारथी और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 10 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री वी.एस.पार्थसारथी को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।
तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 10 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 11

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री एम.पी. विजय कुमार को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एम.पी. विजय कुमार द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री एम.पी. विजय कुमार को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए (1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री एम.पी. विजय कुमार की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री एम.पी. विजय कुमार एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री एम.पी. विजय कुमार का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।
श्री एम.पी. विजय कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 11 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री एम.पी. विजय कुमार को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 11 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 12

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री संजीव नौटियाल को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप श्री संजीव नौटियाल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री संजीव नौटियाल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए (1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री संजीव नौटियाल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।
श्री संजीव नौटियाल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं।। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।
सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री संजीव नौटियाल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्र है।
श्री संजीव नौटियाल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 12 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री संजीव नौटियाल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।
तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 12 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 13

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के प्रावधानों के अनुसार व सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों हेतु, निगम के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए नियम और अन्य नियम और शर्तों और पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड निदेशको को अधिकृत करने का प्रस्ताव है। एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित फर्मों के नाम एजीएम नोटिस के मद संख्या 13 के तहत निहित प्रस्ताव में दिए गए हैं।
इसके अलावा, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निगम के सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों (एसडीए) की नियुक्ति और/या पुनर्नियुक्ति के लिए बोर्ड निदेशको को अधिकृत करने व लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिए उनके नियम और शर्तों और पारिश्रमिक का अनुमोदन का भी प्रस्ताव है।
निगम का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार निगम के बोर्ड निदेशक द्वारा सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस नोटिस के मद संख्या 13 के अंतर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

## मद संख्या 14

भारत सरकार द्वारा 14 मार्च, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री एम. आर. कुमार को अधिवर्षिता प्राप्त होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
इसके बाद, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 जून, 2021 के माध्यम से अध्यक्ष श्री एम.आर. कुमार का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।
वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से भारत सरकार ने एलआईसी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया और संशोधित अधिनियम के प्रावधान 30 जून 2021 से लागू हो गए हैं। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार को निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है। भारत सरकार ने 30 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अध्यक्ष के कार्यकाल को एक वर्ष की और अवधि के लिए, अर्थात 13 मार्च, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।
श्री एम.आर. कुमार ने विज्ञान संकाय, मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सितंबर 2015 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंसीएट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वे वर्ष 1983 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए व श्री कुमार के पास बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है। इससे पहले, यह निगम के दक्षिण, उत्तर-मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक रहे है व कार्मिक और पेंशन एवं समूह योजना विभाग का भी नेतृत्व किया है।
सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 14 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।

श्री एम.आर. कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 14 के तहत निहित प्रस्ताव से संबंध या इसमें रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 14 के अंतर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।
मद संख्या 15
भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2022 के माध्यम से श्री सुचीन्द्र मिश्र को अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री सुचीन्द्र मिश्र, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव हैं। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1992 बैच से हैं और उन्होंने रक्षा लेखा विभाग के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में उप सचिव / निदेशक के रूप में और व्यय विभाग में और वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय और एक्सएलआरआई-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के पूर्व छात्र हैं।
सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने हेतु एजीएम नोटिस के मद संख्या 15 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।
श्री सुचीन्द्र मिश्र और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार को छोड़कर, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक हैं, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 15 के तहत निहित संकल्प में संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।
तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 15 के अनर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

## मद संख्या 16

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर, 2019 के माध्यम से श्री राज कुमार को 01 नवंबर, 2019 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।
इसके बाद, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2022 के माध्यम से श्री राज कुमार का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 जनवरी, 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।

श्री राज कुमार ने डीएवी कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्ष 1984 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है। उन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य श्रेत्र व कार्यकारी निदेशक (संपत्ति और कार्यालय सेवाएं) मुंबई भी रहे है। श्री राजकुमार ने निगम के गोरखपुर और जयपुर संभागों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है।
सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री राज कुमार की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 16 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।

श्री राज कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 16 के तहत निहित प्रस्ताव से संबंध या इसमें रुचि नहीं रखते हैं।
तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 16 के अतंग्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

## मद संख्या 17

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2021 के द्वारा श्री सिद्धार्थ मोहंती को 02 फरवरी, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
श्री सिद्धार्थ मोहंती के पास उत्कल विक्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री है। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेव्वर, ओडिशा से व्यवसाय प्रबंधन पर स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। उन्होंने नवंबर 2002 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंसियट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। उन्होंने पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ के रूप में कार्य किया है और रायपुर और कटक के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रमुख (विधि), प्रमुख (निवेश - निगरानी और लेखा), कार्यकारी निदेशक (विधि), अन्य जैसे कई अन्य पदों पर कार्य किया है। प्रमुख (विधि), मुंबई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने लीगल एरा अवार्ड्स 2013-14 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन-हाउस लीगल टीम पुरूसकार जीता। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हमारे निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है।
सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 17 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है
श्री सिद्धार्थ मोहंती और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 17 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 17 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 18

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के द्वारा श्रीमती मिनी आईप को 02 अगस्त, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। श्रीमती मिनी आईप ने वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन संकाय, आंध्र विक्वविद्यालय से वाणिज्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित) से बोर्ड के सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी पूरा किया है। वह वर्ष 1986 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुईं और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त है। इससे पहले, वह एलआईसीएचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ भी थीं और उन्होंने निगम के अंतरराष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व किया है। इससे पहले, वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शेयरधारक निदेशक भी थीं। उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020 में मवित्त में भारत की शीर्ष 100 महिलाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्रीमती मिनी आईप की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 18 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती मिनी आईप और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 18 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 18 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 19

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के द्वारा श्री बिष्णु चरण पटनायक को 01 अक्तूबर, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
श्री बिष्णु चरण पटनायक के पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से राजनीति विज्ञान में स्नातक और परास्नातक डिग्री है। वह भारतीय बीमा संस्थान के फेलो भी हैं। वह बीमा परिषद के शासी निकाय के महासचिव थे। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है और उन्होंने निगम में जमशेदपुर और बेरहामपुर मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक (विपणन, बैंकाश्योरेंस और वैकल्पिक माध्यम), प्रादेशिक प्रबंधक (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और आगरा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जैसे कई पदों को संभाला है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री बिष्णु चरण पटनायक की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 19 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।
श्री बिष्णु चरण पटनायक और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 19 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 19 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 20

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री/खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निपटान या पट्टा, किसी भी सामान, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों/ डेरिवेटिव के सब्स्क्रिप्शन की हामीदारी, संसाधनों के हस्तांतरण, आदि में यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक हो तो उस हेतु सदस्यों की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसे लेनदेन जो समान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित न हो वे सभी सदस्यों के पूर्व अनुमोदन से मुक्त थे। हालांकि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन जो वस्तुगत हो तो सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, भले ही ऐसे लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हों या सीधे तौर पर सबंधित न हों। सेबी लिस्टिंग विनियमों में 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी संशोधन के अनुसार, यदि लेनदेन वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व में किए गए लेनदेन के साथ दर्ज किया गया हो तथा वह ₹ 1,000 करोड़ से अधिक या सूचीबद्ध इकाई के नवीनतम लेखांकन के वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के $10 \%$ में से जो भी कम हो तो संबंधित पक्ष के साथ एक लेनदेन को भौतिक माना जाएगा । लेखा परीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2023 हेतु व्यापार के सामान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित न हो ऐसे व्यवसाय में संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान, पार्टियों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि मद संख्या 20 में संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखा परीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी दे दी है और यह नोट किया है कि हालांकि यह समान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, वे सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में योग्य हो सकते हैं। तदनुसार, इसके लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी गई है। 22 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र के साथ पठित सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक जानकारी यहां दी गई है:
(i) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड - सहयोगी
(ii) अन्य सूचना

| क्रमांक | विवरण | लेन-देन का प्रकार |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | म्यूचुअल फंड में संबंधित पार्टियों द्वारा प्लेसमेंट | म्यूचुअल फंड में संबंधित पार्टियों द्वारा योजना का मोचन |
| 1 | लेन-देन का मूल्य | 20,000 करोड़ रुपये | 20,000 करोड़ रुपये |
| 2 | सामग्री शर्तें | 90 दिन मोचन | 90 दिन मोचन |
| 3 | चिंता या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा) | वित्तीय | वित्तीय |
| 4 | लेन-देन की अवधि | 90 दिन | 90 दिन |
| 5 | लेन-देन के मूल्य का\%/तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2022 के समेकित कारोबार के आधार पर) | 2.76\% | 2.76\% |
| 6 | प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण | निवेश योग्य अधिशेष | निवेश योग्य अधिशेष |
| 7 | निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋण का विवरण | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 8 | निवेश की लागू शर्तें जैसे अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 9 | जिस उद्देश्य के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुसार इस तरह के फंड के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन |
| 10 | संबंधित पार्टी लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन |
| 11 | मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट | लागू नहीं | लागू नहीं |

एक सदस्य जो निगम की संबंधित पक्ष से है, इस नोटिस के मद संख्या 20 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य उस विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन में एक पार्टी हो या नहीं। कंपनी में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में, शेयरधारिता / निदेशक के रूप में, यदि कोई हो, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, उपरोक्त संकल्प में वित्तीय या अन्यथा संबंधित / रुचि नहीं रखता है।
तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 20 के तहत निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।
बोर्ड के आदेश द्वारा
भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु
(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744
दिनांक: जुलाई 04, 2022

## केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम
'योगक्षेम',
जीवन बीमा मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
दूरभाष. नंबर: 022-2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com
वेबसाइट: www.licindia.in

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक 2 के सदंर्भ में, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध मे विवरण

| निदेशक का नाम | डॉ रंजन शर्मा | श्री विनोद कुमार वर्मा | प्रो अनिल कुमार |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| उम्र | 55 वर्ष | 56 वर्ष | 60 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | एमए, पीएचडी | बीए | बीकॉम (एच), एमकॉम, पीएचडी |
| निपसं | 09573799 | 09309031 | 09477565 |
| संक्षिप्त विवरण | डॉ. रंजन शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 1990 से कॉलेज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इलाहाबाद विक्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से कला में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से भूगोल में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें शिक्षाविदों और निगमित संचालन में अनुभव है। | उन्होंने पूर्वांचल विक्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के व्यवसाय में नितांत रूप से शामिल है और व्यापार, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखते हैं। | प्रो. अनिल कुमार ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विक्वविद्यालय से वाणिज्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विक्वविद्यालय से निगमित संचालन के क्षेत्र में डॉक्टरेट (पीएचडी) भी प्राप्त किया है। <br> वह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने देश के कोने-कोने में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए वित्तशाला की स्थापना की। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निगमित संचालन और कॉर्पोरेट कानूनों पर विभिन्न पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्हें निगमित संचालन और सीएसआर में शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | शैक्षणिक और निगमित संचालन | व्यापार, बिक्री और विपणन | शैक्षणिक और निगमित संचालन |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 29 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https:// licindia.in/getattachment/ Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/ Director-s-Policy.pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 29 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https:// licindia.in/getattachment/ Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/ Director-s-Policy.pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 20 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 19 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https:// licindia.in/getattachment/ Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/ Director-s-Policy.pdf.aspx |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित | त संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर |  |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | अत्तूबर 29, 2021 | अक्तूबर 29, 2021 | जनवरी 20, 2022 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |


| निदेशक का नाम | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | श्री राज कमल |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| उम्र | 65 वर्ष | 66 वर्ष | 52 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | एमए | एमएससी(सांख्यिकी), एमबीए | बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), पीजीपी मैनेजमेंट |
| निपसं | 05264033 | 09660723 | 07653591 |
| संक्षिप्त विवरण | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ने पंजाब विश्वविद्यालय से कला में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। वह पंजाब कैडर (1981 के बैच) की एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले, उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रूप में और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम किया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में निदेशक भी थीं। | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से विज्ञान (सांख्यिकी) में परास्नातक डिग्री और बर्मिंघम विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त) में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले वह सेबी के पूर्णकालिक निदेशक थे और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी थे और उन्हें वित्तीय क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। | श्री राज कमल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। इससे पहले, वह ओयो वेकेशन होम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रशासन, वित्त और कॉर्पोरेट मामले | बैंकिंग और प्रतिभूति विनियम | प्रशासन और प्रबंधन परामर्श |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <br> https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <br> https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <br> https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 675 पर देखें। |  |  |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |


| निदेशक का नाम | श्री वी एस पार्थसारथी | श्री एम पी विजय कुमार | श्री संजीव नौटियाल |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| उम्र | 60 वर्ष | 53 वर्ष | 60 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | बीकॉम, एफसीए | बीकॉम, एफसीए, एफसीएस, एफसीएमए | बीए, एमबीए |
| निपसं | 00125299 | 05170323 | 08075972 |
| संक्षिप्त विवरण | उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एक साथी सदस्य और इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य हैं। उन्होंने हावर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। अन्य बातों के साथ, वह महिंद्रा समूह के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी और समूह मुख्य सूचना अधिकारी भी थे। | श्री एम.पी. विजय कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। 2007 से, वह एक सूचीबद्ध कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वह दूसरों के बीच, थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की IFRS व्याख्या समिति के सदस्य, IFRS सलाहकार परिषद, लंदन के सदस्य और निदेशक संस्थान के एक साथी भी हैं। उन्होंने पहले सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की निवेश बैंकिंग सहायक कंपनी के लिए 7 साल से अधिक समय तक काम किया था और 8 साल से अधिक समय तक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट थे। | श्री संजीव नौटियाल एसबीआई के पूर्व उप प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास एमबीए की डिग्री है और वे भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोशिएट भी हैं। <br> श्री नौटियाल को एसबीआई के साथ अपने 36 वर्षों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को सौंपा गया था, जिनमें से प्रमुख हैं: <br> » उप प्रबंध निदेशक (वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजार) <br> » एमडी और सीईओ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस <br> » मुख्य महाप्रबंधक अहमदाबाद मंडल उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं, जैसे: <br> » सीईओ, खुदरा शाखा, बहरीन <br> » बहरीन/दुबई में स्थित मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में एसबीआई परिचालन के प्रादेशिक प्रमुख। श्री नौटियाल को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है, जैसे खुद्रा ऋण (एसएमई, कृषि, आवास, कार, आदि), मध्य कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन और जीवन बीमा। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रबंधन, वित्त और लेखा | वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कानून और सूचना प्रौद्योगिकी | बैंकिंग एवं जीवन बीमा |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। <br> अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <br> https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित | नित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर |  |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |


| निदेशक का नाम | श्री एम आर कुमार | श्री सुचीन्द्र मिश्र | श्री राज कुमार |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| उम्र | 61 वर्ष | 54 वर्ष | 60 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | बीएससी, भारतीय बीमा संस्थान से लाइसेन्सियट | बीएससी (एच) और पीजीबीएम | बीएससी |
| निपसं | 03628755 | 01873568 | 06627311 |
| संक्षिप्त विवरण | वह हमारे निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने सितंबर 2015 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंस परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वह वर्ष 1983 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में अनुभव है। पूर्व में, वह हमारे निगम के दक्षिण, उत्तर-मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक थे और उन्होंने निगम के कार्मिक और पेंशन एवं समूह योजना विभाग का भी नेतृत्व किया है। | वह निगम के सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं और 1990 बैच से भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। <br> वह दिल्ली विक्वविद्यालय और एक्सएलआरआई - जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के पूर्व छात्र हैं। | वह निगम के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने डीएवी कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्ष 1984 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हमारे निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में अनुभव है। उन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है और मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी थे। उन्होंने संपदा और कार्यालय सेवा विभाग का भी नेतृत्व किया है। वह निगम के गोरखपुर और जयपुर मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भी थे। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रशासन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, वित्त और कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | भारत सरकार की दिनाँक 14 मार्च, 2019, 09 जून, 2021 और 30 जनवरी, 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार | भारत सरकार की दिनाँक 04 जुलाई 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार | भारत सरकार की दिनाँक 01 नवंबर 2019 और 30 जनवरी 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | मार्च 14, 2019 | जुलाई 04, 2022 | नवंबर 01, 2019 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्र निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। |  |  |


| निदेशक का नाम | श्री सिद्धार्थ मोहंती | श्रीमती मिनी आईप | श्री बिष्णु चरण पटनायक |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| उम्र | 59 वर्ष | 59 वर्ष | 59 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | एलएलबी, एमए, पीजीसीबीएम, भारतीय <br> बीमा संस्थान से लाइसेन्सियट | एमकॉम |  |
| निपसं | 08058830 | 07791184 | 08384583 |

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA<br>(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)<br>IRDAI Registration No. 512<br>Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra - 400021<br>Tel. No.: 022 - 22022079<br>Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

## NOTICE OF THE FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FIRST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 27 ${ }^{\text {TH }}$ DAY OF SEPTEMBER, 2022, AT 1430 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSESS:

## ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited financial statements of the Corporation (including the consolidated financial statements) for the financial year ended on March 31, 2022, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the LIC Act, 1956.
2. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2022, in terms of Sections 24C and 27 of the LIC Act, 1956.
3. To consider and declare Final Dividend of Rs. 1.50 per equity share for the Financial Year ended March 31, 2022 as recommended by the Board in terms of Section 28B(1) of the LIC Act, 1956.
4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Dr. Ranjan Sharma (DIN: 09573799) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from October 29, 2021 till April 28, 2022 and the second term of 4 (four) years from April 29, 2022 till April 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Vinod Kumar Verma (DIN: 09309031) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from October 29, 2021 till April 28, 2022 and the second term of 4 (four) years from April 29, 2022 till April 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Prof. Anil Kumar (DIN: 09477565) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section $4(2)(\mathrm{g})$ read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from January 20, 2022 till July 19, 2022 and the second term of 4 (four) years from July 20, 2022 till July 19, 2026, as approved and recommended by the Board."
7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal (DIN: 05264033) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director by the Board, pursuant to which she holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28,2026 , as approved and recommended by the Board."
8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam (DIN: 09660723) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Raj Kamal (DIN: 07653591) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section $4(2)(\mathrm{g})$ read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28,2026 , as approved and recommended by the Board."
10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section $4(2)(\mathrm{g})$ read with Section $4(4)$ of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar (DIN: 05170323) as an Independent Director:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
12. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal (DIN: 08075972) as an Independent Director::
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
13. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and other applicable provisions for the time being in force, the Corporation hereby approves the appointment/re-appointment of following Statutory Central Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

| S. <br> No. | Name of Auditor | CAG <br> Empanelment <br> Number | Head Office | Firm Registration <br> Number (FRN) | *Re-appointment <br> for balance tenure <br> (w.e.f., April 1, 2022) |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 1 | ABM \& Associates LLP | BO1440 | Mumbai | $105016 \mathrm{~W} /$ <br> W-100015 | 01 year |
| 2 | R.G.N. Price \& Co. | MD0018 | Chennai | 002785 S | 01 year |
| 3 | Batliboi \& Purohit | BO0004 | Mumbai | 101048 W | 02 years |
| 4 | AR \& Co. | CR3997 | New Delhi | 002744 C | 02 years |
| 5 | Todi Tulsyan \& Co. | ER0043 | Patna | 002180 C | 02 years |
| 6 | Ramamoorthy (N) \& Co. | HY0008 | Hyderabad | 002899 S | 03 years |
| 7 | Ray \& Ray | CA0036 | Kolkata | 301072 E | 03 years |
| 8 | Chokshi \& Chokshi LLP | BO0150 | Mumbai | $101872 \mathrm{~W} /$ <br> W100045 | 03 years |
| 9 | B C Jain \& Co. | CR0016 | Kanpur | $001099 C$ | 04 years |
| 10 | Rama K Gupta \& Co. | CR0649 | Bhopal | $005005 C$ | 04 years |

*the term of appointment/re-appointment shall be upto the date of conclusion of the AGM for the year in which the term is ending

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and other applicable provisions for the time being in force, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint Statutory Divisional Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation, (including the Audit Committee of the Board), be and are hereby authorised from time to time, to settle all questions that may arise in connection with or incidental to give effect to the above resolutions."

## SPECIAL BUSINESS:

14. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. M.R. Kumar (DIN: 03628755) as Whole time Chairperson of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(a) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of the Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. M.R. Kumar vide Government of India's notification dated January 30, 2022, conveying that the term of Mr. M. R. Kumar, Whole Time Chairperson of the Corporation has been extended till March 13, 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".
15. To consider and, ifthought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Suchindra Misra (DIN: 01873568) as Government Nominee Director of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section $4(2)(\mathrm{d})$ of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Suchindra Misra vide Government of India's notification dated July 04, 2022, appointing Mr. Suchindra Misra as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved as recommended by the Board."
16. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Raj Kumar (DIN: 06627311) as Managing Director of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Raj Kumar vide Government of India's notification dated January 30, 2022, conveying that the term of Mr. Raj Kumar, Managing Director of the Corporation has been extended till January 31, 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board."
17. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Siddhartha Mohanty (DIN: 08058830) as Managing Director of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Siddhartha Mohanty vide Government India's notification dated January 20, 2021, appointing Mr. Siddhartha Mohanty as Managing Director of the Corporation w.e.f., February 02, 2021 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., 30.06.2023) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".
18. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Ms. Mini Ipe (DIN: 07791184) as Managing Director of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Ms. Mini Ipe vide Government of India's notification dated July 05, 2021, appointing Ms. Mini Ipe as Managing Director of the Corporation w.e.f., August 02, 2021 and up to the date of her attaining superannuation (i.e., 31.08.2023) or until further orders, whichever is earlier, be and is approved as recommended by the Board".
19. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik (DIN: 08384583) as Managing Director of the Corporation:
"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik vide Government of India's notification dated July 05, 2021, appointing Mr. Bishnu Charan Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., October 01, 2021 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., 31.03 .2023 ) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".
20. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for approval of related party transactions of the Corporation:

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws) and the 'Policy on dealing with Related Party Transactions' of Life Insurance Corporation of India (the Corporation), as may be applicable from time to time, consent of the Members, be and is hereby accorded to the Board of Directors (hereinafter referred
to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), notwithstanding the fact that all such transactions during the financial year 2022-23 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, may exceed Rs. 1,000 crore or $10 \%$ of the annual consolidated turnover as per the Corporation's last audited financial statements, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

| S. <br> No. | Name <br> of the <br> Related <br> Party | Nature of <br> Relationship | Type of <br> Transaction | Value of <br> Transaction <br> (₹ in crore) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | LIC <br> Mutual <br> Fund <br> Limited | Associate | Purchase | 20,000 |
|  | LIC <br> Mutual <br> Fund <br> Limited | Associate | Redemption | 20,000 |

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to this resolution.

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

## (Pawan Agrawal) <br> Company Secretary <br> Membership No.: FCS 7744

Date: July 04, 2022

## Central Office:

Life Insurance Corporation of India
'Yogakshema',
Jeevan Bima Marg,
Nariman point, Mumbai - 400021
Tel. No: 022 - 22022079
Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

1. Pursuant to the Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, which is in continuation of Ministry's General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020 and Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and in compliance with the provisions of the LIC Act, 1956 read with Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, provisions of Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Corporation has decided to hold its $1^{\text {st }}$ AGM through Video-conference ("VC") or other audio visual means ("OAVM") (hereinafter referred to as "electronic means") i.e. without the physical presence of the members.
2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A read with Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 3 to 19 of this Notice is annexed hereto.
3. PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE LIC ACT, 1956 READ WITH RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA GENERAL RULES, 1956, A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE CORPORATION. SINCE THIS AGM IS BEING HELD THROUGH VC, THE REQUIREMENT OF PHYSICAL ATTENDANCE OF MEMBERS HAS BEEN DISPENSED WITH. ACCORDINGLY, THE FACILITY FOR APPOINTMENT OF PROXIES BY THE MEMBERS WILL NOT BE AVAILABLE FOR THIS AGM AND HENCE THE PROXY FORM, ATTENDANCE SLIP AND ROUTE MAP OF THE AGM VENUE ARE NOT ANNEXED TO THIS NOTICE.
4. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Rule 28 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 read with Secretarial Standard - 2 issued by ICSI in respect of the Directors seeking appointment/ re-appointment at the $1^{\text {st }}$ AGM are annexed hereto as Annexure - A to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Directors seeking appointment/re-appointment.
5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode during 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the National Securities Depository Limited ('NSDL') e-Voting website at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules
and regulations made thereunder and the Secretarial Standard - 2 issued by ICSI.
6. The facility of participation at the AGM through $\mathrm{VC} / \mathrm{OAVM}$ will be made available for minimum 1,000 members on first come first served basis (FCFS). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding $2 \%$ or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Auditors, etc.
7. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation shall be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to snaco@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
8. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
9. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories as at the close of business hours on August 26, 2022. The Notice convening the $1^{\text {st }}$ AGM has been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www. bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www. evoting.nsdl.com.
10. Record Date for Dividend:
a) Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members may note that the Board, in its meeting held on May 30, 2022 has recommended a final dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 10 each for the financial year ended March 31, 2022. The Record Date for the purpose of final dividend was Friday, August 26, 2022.
b) Final Dividend for the financial year 2021-22, once approved by the members in the $1^{\text {st }}$ AGM will be paid to the Members by October 26, 2022, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/ beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on Friday, August 26, 2022.
c) Members holding shares in demat form are hereby informed that bank particulars registered with their respective Depository Participants with whom they maintain their demat accounts will be used by the Corporation for payment of dividend. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants and not later than at the close of business hours on Friday, August 26, 2022.
d) Members holding shares in physical form are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (viz. Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at einward.ris@kfintech.com.
e) For the members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode (to such members) at the address registered in Corporation's records.
f) Pursuant to Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f., April 1, 2020 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to the shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof.

A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/15H.
Non-resident shareholders including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of tax residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.
A communication for the same was sent to the members on July 15, 2022 whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before Friday, August 26, 2022.
11. In respect of the physical shareholding, in order to prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Registrar of any change in their addresses, telephone numbers, e-mail ids, nominees or joint holders, as the case may be.
The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has mandated submission of Permanent Account Number ('PAN') by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Registrar (RTA).
12. Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shares of a listed entity can only be transferred in demat form w.e.f., April 1, 2019 except in cases of transmission or transposition. Therefore, shareholders are encouraged in their own interest to dematerialize their shareholding to avoid hassle in transfer of shares and eliminate risks associated with physical shares. Members can write to the Registrar in this regard.
13. Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act. 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the
joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.
As on date of the issue of notice, the Corporation has not issued any shares in the physical form.
14. Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').
Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.
The Corporation does not have any amount of dividend remaining unpaid or unclaimed to be transferred to IEPF as on March 31, 2022.
15. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:
(i) Shareholders holding shares in physical form, are requested to register/ update their email addresses by clicking on https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the RTA with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at einward.ris@kfintech.com.
(ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in point no. 19 at step 1
(A) i.e., Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
(iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
(iv) In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.
16. Remote e-voting before/during the AGM:
(i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz, 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for
casting votes by a Member using remote e-Voting system as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL.
(ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of Tuesday, September 20, 2022 may cast their vote by remote e-Voting. A person who is not a Member as on the cutoff date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM. Any non individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cutoff date i.e. September 20, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
(iii) Individual shareholders holding securities in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., September 20, 2022 may follow the login process mentioned below in point 19.
(iv) The remote e-Voting period commences on Friday, September 23, 2022 at 0930 hrs (IST) and ends on Monday, September 26, 2022 at 1700 hrs (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., September 20, 2022.
(v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting i.e., September 27, 2022.
(vi) The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
17. Ms. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Mr. Viswanathan N.S. (Membership No. ACS 61955) of M/s. S.N. Ananthasubramanian \& Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser's for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-Voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the
e-Voting (votes cast through remote e-Voting before/ during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.
18. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:
(i) Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below under point 19 for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN (121401) of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
(ii) Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
(iii) Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the $1^{\text {st }} \mathrm{AGM}$, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number and mobile number, in advance at licagm_2022@ licindia.com from Thursday, September 22, 2022 (0930 hrs) to Sunday, September 25, 2022 (1700 hrs). Such questions by the Members shall be suitably replied by the Corporation.
(iv) Members who would like to express their views/ ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at licagm_2022@ licindia.com between Thursday, September 22, 2022 (0930 hrs) to Sunday, September 25, 2022 (1700 hrs). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
(v) Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at sanjeevy@nsdl.co.in /1800 1020990 or 1800224430.
19. Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General meeting are as under:

The remote e-voting period begins on Friday, September 23, 2022 at 0930 hrs and ends on Monday, September 26, 2022 at 1700 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. September 20, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being September 20, 2022.
How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?
The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

## Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

| Type of shareholders | Login Method |
| :--- | ---: | :--- |
| Individual Shareholders |  |
| holding securities in demat |  |
| mode with NSDL. | 1.Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices. <br> nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page <br> click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' <br> section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After <br> successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added <br> services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to <br> see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDLand <br> you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the <br> remote e-Voting period or joining virtual meeting \& voting during the meeting. |
|  | 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https:// |
| eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https:// |  |
| eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp |  |

NSDL Mobile App is available on
©AppStore Google Play


1. Existin nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added see Voting page. Click on company name or Voting service provider i e NSD and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting \& voting during the meeting.
2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https:// eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https:// eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter OTP and a Verification Code as shown on the screen After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to joining virtual meeting \& voting during the meeting. by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

4. Users who have opted for Easi / Easiest, can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest arehttps://web.cdslindia.com/myeasi/home/ login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi.
5. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote.
6. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration
7. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile \& Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting \& voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

| Login type | Helpdesk details |
| :--- | :--- |
| Individual Shareholders holding securities <br> in demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by <br> sending a request at evoting@nsdl.co.inor call at toll free no.: 1800 1020 990 and <br> 1800224430 |
| Individual Shareholders holding securities <br> in demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by <br> sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 <br> or 022-23058542-43 |

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

## How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e., Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

| Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or <br> CDSL) or Physical | Your User ID is: |
| :--- | :--- |
| a) For Members who hold shares in demat <br> account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID <br> For example if your DP ID is IN300*** <br> then your user ID is IN300 Client ID is $12^{* * * * * *} 12^{* * * * * *}$ |
| b) For Members who hold shares in demat <br> account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID <br> For example if your Beneficiary ID is $12^{* * * * * * * * * * * * * * ~ t h e n ~ y o u r ~}$ <br> user ID is 12************* |
| c) For Members holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the <br> company <br> For example if folio number is $001^{* * *}$ and EVEN is 101456 then <br> user ID is 101456001*** |

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
c) How to retrieve your 'initial password'?
(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
b) "Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl. com.
c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

## Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system. How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

## The instructions for e-Voting during the AGM are as under:

(i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
(ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
(iii) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
(iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

## General Guidelines for shareholders:

(i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
(ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 18001020990 and 1800224430 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: sanjeevy@nsdl.co.in and/or evoting@nsdl.co.in.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA GENERAL RULES, 1956

## Item No. 3

In terms of Section 28B of the LIC Act, 1956, the Board of Directors of the Corporation, in its Board meeting held on May 30, 2022 has recommended a final dividend of Rs. 1.50 per equity share of the face value of Rs. 10/- each, subject to approval of the members of the Corporation in Annual General Meeting. This translates into a dividend pay-out ratio of $15 \%$.The same was disclosed to the stock exchanges on May 30, 2022.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 3 set out in the notice.

## Item No. 4

Dr. Ranjan Sharma was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from October 29, 2021, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section $4(2)(\mathrm{g})$ of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on April 28, 2022.
Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from April 29, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Dr. Ranjan Sharma for $1^{\text {st }}$ and $2^{\text {nd }}$ term by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.

Dr. Ranjan Sharma meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Dr. Ranjan Sharma, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Dr. Ranjan Sharma and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 4.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 4 of the AGM Notice.

Item No. 5
Mr. Vinod Kumar Verma was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from October 29, 2021, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on April 28, 2022.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from April 29, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Vinod Kumar Verma for $1^{\text {st }}$ and $2^{\text {nd }}$ term by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.

Mr. Vinod Kumar Verma meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. Vinod Kumar Verma, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Mr. Vinod Kumar Verma and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 5.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 5 of the AGM Notice.

## Item No. 6

Prof. Anil Kumar was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from January 20, 2022, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on July 19, 2022.
Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from July 20, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Prof. Anil Kumar for $1^{\text {st }}$ and $2^{\text {nd }}$ term by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.

Prof. Anil Kumar meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Prof. Anil Kumar, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Prof. Anil Kumar and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 6.
The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 6 of the AGM Notice.

## Item No. 7

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section $4(2)(\mathrm{g})$ of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }} A G M$.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
Ms. Anjuly Chib Duggal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. She has given her consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, she has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by her of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Ms. Anjuly Chib Duggal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Ms. Anjuly Chib Duggal and her relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 7.
The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 7 of the AGM Notice.

## Item No. 8

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.
Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
Mr. Gurumoorthy Mahalingam meets all the criteria of independence as prescribed under the LICAct, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Mr. Gurumoorthy Mahalingam, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Mr. Gurumoorthy Mahalingam and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 8.
The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 8 of the AGM Notice.

## Item No. 9

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) has recommended the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering
the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section $4(2)(\mathrm{g})$ of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Raj Kamal by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.
Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. Raj Kamal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Mr. Raj Kamal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Mr. Raj Kamal and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 9.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 9 of the AGM Notice.

## Item No. 10

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. V. S. Parthasarathy by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
Mr. V. S. Parthasarathy meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has
also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Mr. V. S. Parthasarathy, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. V. S. Parthasarathy and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 10.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 10 of the AGM Notice.

Item No. 11
The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section $4(2)(\mathrm{g})$ of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }}$ AGM.
Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
Mr. M.P. Vijay Kumar meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Mr. M.P. Vijay Kumar, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.
Except Mr. M.P. Vijay Kumar and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 11.
The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director of the Corporation.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 11 of the AGM Notice.

## Item No. 12

The Nomination \& Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an

Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section $4(2)(\mathrm{g})$ of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal by the Board needs to be formally approved at the $1^{\text {st }} \mathrm{AGM}$.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.
Mr. Sanjeev Nautiyal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.
The brief profile of Mr. Sanjeev Nautiyal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. Sanjeev Nautiyal and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 12.
The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 12 of the AGM Notice.

## Item No. 13

In terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 and Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and the provisions of the Board approved policy for appointment of Statutory Central Auditors and Statutory Divisional Auditors, the appointment/re-appointment of Statutory Central Auditors of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM. It is proposed to authorize the Board of Directors to approve the term and other terms and conditions and remuneration for appointment/reappointment of Statutory Central Auditors (SCAs) on the recommendation of the Audit Committee. The names of firms proposed to be appointed as SCAs are given in the resolution contained under item no. 13 of the AGM notice

Further, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment and/or re-appointment of Statutory Divisional Auditors (SDAs) of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder and to approve their terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolution.
The Board of Directors of the Corporation recommends passing
of the Ordinary Resolution, as set out at item no. 13 of this Notice, for approval of the members.

## Item No. 14

The Government of India vide their notification dated March 14, 2019, had appointed Mr. M. R. Kumar as Chairman of the Corporation till attainment of superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Subsequently, the Government of India vide its notification dated June 09, 2021 extended the term of Mr. M. R. Kumar, Chairman for a period of one year or until further orders, whichever is earliest.
The Government of India through Finance Bill, 2021 amended the LIC Act, 1956 and the provisions of amended Act have come into force w.e.f., June 30, 2021. Pursuant to Section 4(2)(a) of LIC Act, 1956, Mr. M.R. Kumar has been re-designated as Whole-Time Chairperson of the Corporation. The Government of India vide its notification dated January 30, 2022 has extended the term of Chairperson for a further period of one year, i.e., upto March 13, 2023 or until further orders, whichever is earliest.
Mr. M.R. Kumar holds bachelor's degree in science from the Faculty of Science, University of Madras. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in September 2015. He joined the Corporation in the year 1983 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. Previously, he was the zonal manager of South, North-Central and North zones of the Corporation and has also headed the personnel and pension \& group schemes department.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 14 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. M.R. Kumar.

Except Mr. M.R. Kumar and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 14.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 14 of the AGM Notice.

## Item No. 15

The Government of India vide their notification dated July 04, 2022, had appointed Mr. Suchindra Misra as Government Nominee Director of the Corporation until further orders.

Mr. Suchindra Misra is Additional Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is from the 1992 batch of Indian Defence Accounts Service and has served in various assignments within the Defence Accounts Department. He has also served in the Ministry of Finance, Government of India as Deputy Secretary / Director in the Department of Investment and Public Asset Management and in the Department of Expenditure and as Joint Secretary in the Department of Financial Services. He is an alumnus of Delhi University and XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur.
In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 15 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Suchindra Misra.

Except Mr. Suchindra Misra and his relatives and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 15.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 15 of the AGM Notice.
Item No. 16
The Government of India vide their notification dated November

01, 2019, had appointed Mr. Raj Kumar as Managing Director of the Corporation w.e.f. November 01, 2019 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Subsequently, the Government of India vide their notification dated January 30, 2022, extended the term of Mr. Raj Kumar for the further period of one year. i.e., upto January 31, 2023 or until further orders, whichever is earliest.
Mr. Raj Kumar holds bachelor's degree in science from D.A.V College, Guru Nanak Dev University, Jalandhar, Punjab. He joined the Corporation in the year 1984 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. He has also served as the chief executive officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the zonal manager, central zone, executive director (estate and office services), Mumbai, amongst others, of the Corporation. He was also the senior divisional manager of Gorakhpur and Jaipur Divisions of the Corporation.
In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 16 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Raj Kumar.

Except Mr. Raj Kumar and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 16.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 16 of the AGM Notice.

## Item No. 17

The Government of India vide their notification dated January 20, 2021, had appointed Mr. Siddhartha Mohanty as Managing Director of the Corporation w.e.f., February 02, 2021 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.
Mr. Siddhartha Mohanty holds bachelor's degree in law and a master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a post graduate certification on business management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar, Odisha. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in November 2002. He previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited and has held various other positions, such as, senior divisional manager of Raipur and Cuttack, Chief (legal), chief (investment - monitoring \& accounting), executive director (legal), amongst others. During his tenure as Chief (legal), Mumbai, the Corporation also won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. He joined our Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector
In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 17 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Siddhartha Mohanty.

Except Mr. Siddhartha Moahnty and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 17.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 17 to the AGM Notice.

## Item No. 18

The Government of India vide their notification dated July 05, 2021, had appointed Ms. Mini Ipe as Managing Director of the Corporation w.e.f., August 02, 2021 till the date of her superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Ms. Mini Ipe holds master's degree in commerce from the Faculty of Commerce and Management Studies, Andhra University. She has also completed the certification programme in IT and Cyber

Security for Board Members from the Institute for Development and Research in Banking Technology (established by the Reserve Bank of India). She joined the Corporation in the year 1986 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. Previously, she was also the CEO of LICHFL Financial Services Limited and has led the international operations of the Corporation. Previously, she was also the shareholder director of Central Bank of India. She has been recognized as one of 'India's top 100 women in finance' in the year 2020 by the Association of International Wealth Management of India.
In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 18 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Ms. Mini Ipe.

Except Ms. Mini Ipe and her relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 18.
Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 18 of the AGM Notice.

## Item No. 19

The Government of India vide their notification dated July 05, 2021, had appointed Mr. Bishnu Charan Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., October 01, 2021 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.
Mr. Bishnu Charan Patnaik holds bachelor's and master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneshwar, Odisha. He is also a fellow of the Insurance Institute of India. He was the secretary general of the Governing Body of the Insurance Council. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector and has handled several positions in the Corporation such as senior divisional manager of Jamshedpur and Berhampur divisions, regional manager (marketing, bancassurance and alternate channels), regional manager (customer relationship management) and director of Zonal Training Centre in Agra.
In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 19 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik.
Except Mr. Bishnu Charan Patnaik and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 19.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 19 to the AGM Notice.

## Item No. 20

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/ derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length. However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective April 1, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds Rs. 1,000 crore or $10 \%$ of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower. The Audit Committee had accorded their approval for the material
transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2023. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 20, during FY2023, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations. Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Information required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated November 22, 2021 is provided herewith:
(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship: LIC Mutual Fund Ltd - ASSOCIATE
(II) Other Information

| S. No. | Particulars | Type of Transaction |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Placement by related parties in Mutual Fund | Redemption of scheme by related parties in Mutual Fund |
| 1 | Value of the transaction | ₹ $20,000 \mathrm{Cr}$ | ₹ $20,000 \mathrm{Cr}$ |
| 2 | Material Terms | 90 days Redemption | 90 days Redemption |
| 3 | Nature of concern or interest (financial/ otherwise) | financial | financial |
| 4 | Tenure of the transaction | 90 days | 90 days |
| 5 | \% of value of transaction/ the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2022) | 2.76\% | 2.76\% |
| 6 | Details of the source of funds in connection with the proposed transaction | Investible surplus | Investible surplus |
| 7 | Details of financial indebtedness incurred for investment | N/A | N/A |
| 8 | Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security | N/A | N/A |
| 9 | The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms |
| 10 | Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms |
| 11 | Valuation or other external party report | N/A | N/A |

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 20 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Company and in the entities mentioned above, if any.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 20 of the AGM Notice.

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

(Pawan Agrawal)<br>Company Secretary<br>Membership No.: FCS 7744

Date: July 04, 2022

## Central Office:

Life Insurance Corporation of India
'Yogakshema',
Jeevan Bima Marg,
Nariman point, Mumbai - 400021
Tel. No: 022 - 22022079
Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard 2, in respect of the Directors seeking appointment/re-appointment

| Name of Director | Dr. Ranjan Sharma | Mr. Vinod Kumar Verma | Prof. Anil Kumar |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Age | 55 years | 56 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | M.A., Phd | B.A. | B.Com (H), M.Com, Phd. |
| DIN | 09573799 | 09309031 | 09477565 |
| Brief Resume | Dr. Ranjan Sharma is Associate Professor at Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, Uttar Pradesh and has been associated with the college since 1990. He holds master's degree in arts from University of Allahabad, Uttar Pradesh. He holds a Doctorate degree in Geography from Dr Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya, Uttar Pradesh. He is experienced in academics and Corporate Governance. | He holds bachelor's degree in Arts from Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh. He is deeply involved in Business of Electronics Goods and is having experience and knowledge in the fields of business, sales and marketing | Prof. Anil Kumar holds a bachelor's degree in commerce from the Shri Ram College of Commerce, University of Delhi and a master's degree in commerce from the Delhi School of Economics, University of Delhi. He also holds a Doctorate (Ph.D) in the area of Corporate Governance from the University of Delhi. He is currently working as Professor in the Department of Commerce of the Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. He founded Vittshalla to spread financial literacy across the nooks and corners of the country. He has also authored various books on inter alia corporate governance and corporate laws. He has more than 30 years of experience of teaching, research, training and consultancy in corporate governance and CSR |
| Expertise in specific functional areas | Academics \& Corporate Governance | Business, Sales \& Marketing | Academics \& Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 29th April, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 28th April, 2022. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https:///icindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 29th April, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 28th April, 2022. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 20th July, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 19th July, 2022. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Govern | ance Report annexed to Annual | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | October 29, 2021 | October 29, 2021 | January 20, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |


| Name of Director | Ms. Anjuly Chib Duggal | Mr. Gurumoorthy Mahalingam | Mr. Raj Kamal |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Age | 65 years | 66 years | 52 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | M.A. | M.Sc. (Statistics), MBA | B. Tech (Mech. Engg.), PGP in Management |
| DIN | 05264033 | 09660723 | 07653591 |
| Brief Resume | Ms. Anjuly Chib Duggal holds a master's degree in arts from the Punjab University. She is a retired Indian Administrative Services officer from the Punjab cadre (batch of 1981). Previously, she has also worked, amongst others, as Secretary with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and as Secretary with the Ministry of Corporate Affairs. She was also a director on the board of Reserve Bank of India and State Bank of India. | Mr. Gurumoorthy Mahalingam holds a master's degree in science (statistics) from Indian Institute of Technology, Kanpur and a master's degree in business administration (international banking and finance) from the University of Birmingham. Previously, he was, amongst others, the whole-time director of SEBI and was also the executive director of Reserve Bank of India and has numerous years of experience in the financial sector. | Mr. Raj Kamal holds a bachelor's degree of technology in mechanical engineering from the Indian Institute of Technology, Bombay and is a post graduate in management from the Indian School of Business, Hyderabad. Previously, he was also the Chief Executive Officer of OYO Vacation Homes. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Finance and Corporate Affairs | Banking and Securities Regulations | Administration and Management Consultancy |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | She was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Date on which first appointed on the Board | January 29, 2022 | January 29, 2022 | January 29, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |


| Name of Director | Mr. V. S. Parthasarathy | Mr. M.P. Vijay Kumar | Mr. Sanjeev Nautiyal |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Age | 60 years | 53 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | B.Com, FCA | B.Com, FCA, FCS, FCMA | BA, MBA |
| DIN | 00125299 | 05170323 | 08075972 |
| Brief Resume | He holds a bachelor's degree in commerce from Gujarat University. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He has also done Advance Management Program from Havard Business School. Previously, inter alia, he was also the group chief financial officer and group chief information officer of the Mahindra Group. | Mr. M.P. Vijay Kumar is a Chartered Accountant, Cost Accountant and Company Secretary. Since 2007, he is the Chief Financial Officer at Sify Technologies Limited, a listed company. He is an independent director on the boards of, amongst others, Thejo Engineering Limited. He is also a member of the IFRS Interpretation Committee of International Accounting Standards Board, member of IFRS Advisory Council, London and a fellow of the Institute of Directors. He had earlier worked for the Investment banking subsidiary of Sundaram Finance Limited for over 7 years and was a Chartered Accountant in practice for over 8 years. | Mr Sanjeev Nautiyal is a former Deputy Managing Director of SBI.He holds an M.B.A Degree and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). Mr. Nautiyal was entrusted with varied leadership roles in his 36 years with SBI, major ones being: <br> » Dy MD (Financial Inclusion \& Micro Markets) <br> » MD \& CEO , SBI Life Insurance » Chief General Manager Ahmedabad Circle He was also entrusted with responsibilities, such as: » CEO, Retail Branch, Bahrain » Regional Head of SBI Operations in Middle East, West Asia \& North Africa based out of Bahrain/Dubai. Mr. Nautiyal has wide experience in areas of Financial Services viz, Loans to Retail (SME, Agriculture, Housing, Car, etc.), Mid Corporate Lending, International Banking, Human Resources \& Life Insurance. |
| Expertise in specific functional areas | Management, Finance and Accounts | Financial Reporting, Audit, Corporate laws and Information Technology | Banking and Life Insurance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. <br> The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/ getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Govern | ance Report annexed to Annual | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | January 29, 2022 | January 29, 2022 | January 29, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |


| Name of Director | Mr. M.R. Kumar | Mr. Suchindra Misra | Mr. Raj Kumar |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Age | 61 years | 54 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | B.Sc, Licentiate from Insurance Institute of India | B.Sc (Hons) and PGBM | B.Sc |
| DIN | 03628755 | 01873568 | 06627311 |
| Brief Resume | He is the Whole-time Chairperson of the Corporation. He holds bachelor's degree in science from the Faculty of Science, University of Madras. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in September 2015. He joined the Corporation in the year 1983 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. Previously, he was the zonal manager of South, NorthCentral and North zones of our Corporation and has also headed the personnel and pension \& group schemes department of the Corporation. | He is Government Nominee Director of the Corporation and is an officer of the Indian Defence Accounts Service from the 1990 batch. He is presently serving as Additional Secretary in the Ministry of Finance, Government of India. <br> He is an alumnus of Delhi University and XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur. | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's degree in science from D.A.V College, Guru Nanak Dev University, Jalandhar, Punjab. He joined our Corporation in the year 1984 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. He has also served as the Chief Executive Officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the Zonal Manager, central zone. He has also headed Estate and Office Services department. He was also the Senior Divisional Manager of Gorakhpur and Jaipur Divisions of the Corporation. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Finance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | As per Government of India notifications dated March 14, 2019, June 09, 2021 and January 30, 2022 | As per Government of India notification dated July 04, 2022 | As per Government of India notifications dated November 01, 2019 and January 30, 2022 |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Date on which first appointed on the Board | March 14, 2019 | July 04, 2022 | November 01, 2019 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |


| Name of Director | Mr. Siddhartha Mohanty | Ms. Mini Ipe | Mr. Bishnu Charan Patnaik |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Age | 59 years | 59 years | 59 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | LL.B, MA, PGCBM, Licentiate from Insurance Institute of India | M.Com | MA (Political Science), FII |
| DIN | 08058830 | 07791184 | 08384583 |
| Brief Resume | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's degree in law and a master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a post graduate certification on business management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar, Odisha. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in November 2002. He previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited and has held various other positions, such as, Senior Divisional Manager of Raipur and Cuttack, Chief (Legal), Chief (investment - Monitoring \& Accounting), Executive Director (Legal), amongst others. During his tenure as chief (legal), Mumbai, our Corporation also won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector | She is the Managing Director of the Corporation. She holds master's degree in commerce from the Faculty of Commerce and Management Studies, Andhra University. She has also completed the certification programme in IT and Cyber Security for Board Members from the Institute for Development and Research in Banking Technology (established by the Reserve Bank of India). She joined the Corporation in the year 1986 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. Previously, she was also the CEO of LICHFL Financial Services Limited and has led the international operations of the Corporation. She has been recognized as one of 'India's top 100 women in finance' in the year 2020 by the Association of International Wealth Management of India | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's and master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneshwar, Odisha. He is also a fellow of the Insurance Institute of India. He was the Secretary General of the Governing Body of the Insurance Council. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector and has handled several positions in the Corporation such as Senior Divisional Manager of Jamshedpur and Berhampur Divisions, Regional Manager (Marketing, Bancassurance and Alternate Channels), Regional Manager (Customer Relationship Management) and Director of Zonal Training Centre, Agra. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | As per Government of India notification dated January 20, 2021 | As per Government of India notification dated July 05, 2021 | As per Government of India notification dated July 05, 2021 |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Date on which first appointed on the Board | February 02, 2021 | August 02, 2021 | October 01, 2021 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 |  |  |

